न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2020 भरण पोषण

1. भूरामल दत्तक पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी किशनपुरा पुलिस थाना रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भूरामल
2. ताराचन्द पुत्र भूरामल जाति जाट निवासीगण किशनपुरा पुलिस थाना रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थिति—

1. वकील श्री शिवपालसिह प्रार्थी की ओर से।
2. वकील श्री योगेश शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 29.03.2022**

1. संक्षिप्त तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है। कि आवेदक संख्या एक ने ग्राम किशनपुरा में अपनी खातेदारीशुदा भूमि में स्वयं के खर्चे से आवासीय मकानात बनाये थे, जिसका नजरी नक्शा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है आवेदक संख्या एक ने अपनी जिन्दगी में कड़ी मेहनत करके तथा पढ़ा लिखाकर योग्य इंसान बनाया है। इसके पास जो भी जमा पूंजी थी उसने अपने परिवार पर खर्च कर दी। आवेदक संख्या एक ने अपने खर्चे से कृषि भूमि हवेली बनायी जिसमें कुल छः मकान थे। जिसमें से अनावेदक संख्या एक मकान इनके हिस्से का सम्भलाया था। तथा अनावेदक संख्या दो व इसकी पत्नी दूसरी जगह पर अवस्थित कृषि भूमि में अलग से मकान बनाकर रह रहे है। परन्तु आवेदक संख्या एक ने स्वयं के खर्चे से बनी हवेली जिसमें से बनी हवेली जिसमें कुल छः मकान है जिस सम्पूर्ण पर आवेदक संख्या एक ने कब्जा कर लिया है तथा आवेदकगण को इन मकानों से बाहर निकाल दिया है। आवेदक संख्या एक की पत्नि आवेदिका संख्या दो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहती है। जिसका दवाई का खर्चा भी नहीं दे रहे है तथा आवेदकगण को इन मकानों से बाहर निकाल दिया है तथा आवेदक संख्या एक की पत्नी आवेदिका संख्या दो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहती है जिसका दवाई का खर्चा भी नहीं

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दे रहे है तथा आवेदकगण मजबुरीवश अनावेदक संख्या दो की पत्नि से हाथ जोड़कर इनके बाहर के मकान में रहकर जीवन यापन कर रहे है। अनावेदकगण तथा आवेदक संख्या एक की पत्नि मायादेवी द्वारा आवेदकगण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसके कारण आवेदकगण का जीवन नरकमय हो गया है। इसलिए आवेदकगण का संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित आवासीय मकानात का कब्जा अनावेदक संख्या एक से दिलवाया जाना तथा प्रत्येक आवेदकगण को दस–दस हजार रूपये मासिक खर्चा दिलवाया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है।

2. आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थिगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा हाजिर आये तथा आदेशिका पर हिदायत पैरवी नहीं है अंकन किया गया।

3. वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सुनी गयी बहस पर मनन किया गया । बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण वृद्धजन है जो स्वयं मजदूरी या व्यवसाय करके अपना भरण पोषण करने में सक्षम प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के पुत्रों कमशः ओमप्रकाश पुत्र भूरामल व ताराचन्द पुत्र भूरामल जाति जाट निवासी किशनपुरा पुलिस थाना रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर प्रत्येक को इस आशय सें पाबंद किया जाता है कि अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रतिमाह प्रार्थीगण को प्रतिमाह 2500/– , 2500/– रूपये बैंक खाते में या नकद अदा करें एवं अच्छे से देखभाल करें, लड़ाई झगड़ा आदि न करें। अप्रार्थीगणों को निर्णय की पालना कराने हेतु थानाधिकारी पुलिसथाना रानोली जिला सीकर को लिखा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ